UTTARANCHAL

Summary

- **Antyodaya Anna Yojana**
  Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price

पत्रांक: 258 /XIX/खाद्य/2009

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग– 1 दिनांक: 15 जुलाई, 2009

विषय:– अन्त्योदय अन्न योजना से बी0 पी0 एल0 एच0 आई0 संक्रमित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों के सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को जारी शासनादेश संख्या–13(15)/2009 –**PD-III** दिनांक 3 जून, 2009 एवं तद्क्रम में सचिव एवं महानिदेशक, एड्स नियत्रंण विभाग, नाको, भारत सरकार के संलग्न शासनादेश संख्या– **L-1833/Secy&DG/09** दिनांक 13 जून, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय की याचिका संख्या– 535/1998 दिनांक 26 मार्च, 2009 के निर्णय के अनुपालन में जारी उक्त शासनादेशों के तहत प्राथमिकता के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 परिवारों की सूची में से पात्रता के आधार पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लागू लक्षित नागरिक आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत संचालित अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित कर लाभान्वित किया जाना है।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों का राज्य में अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर आपसी समन्वय स्थापित करके प्रत्येक जिले के संबंधित जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से संपर्क कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है:–

1– एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 कार्ड की सूची से पात्रता के आधार पर अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित करना।

2– जनपदवार अन्त्योदय अन्न योजना (ए0ए0 वाई0) कार्ड वितरण करना तथा संबंधित सूचना शासन एवं परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति , 107– चन्दरनगर देहरादून को उपलब्ध कराया जाना।

3– अन्त्योदय अन्न योजना से जुडाव की विभागीय प्रकिया की जानकारी उपलब्ध कराना।

4– एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों की गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए जुडाव की अन्त्योदय अन्न योजना का कियान्वयन करना।

भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबतम व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना, जो दिसम्बर, 2000 से प्रारम्भ की गई है में सम्मिलित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के संबंध में प्रत्येक राज्य स्तर पर कार्यवाही की जानी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पी0 आई0 एल0 दायर होने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या– सिविल न0–535/1998 दिनांक 26 मार्च, 2009 को निम्नलिखित आदेश पारित किये है,उसके मुख्य अंश निम्नलिखित है:–

" Learned counsel appearing for the petitioner stated that many of these patients are living below the Poverty Line and so they should be provided with ' Antyodaya Anna Yojana Card' to get food supply from PDS stores and so also some of these patients have to visit the distant hospitals regularly and therefore they should be issued free passes in public transport system. We hope that HIV/AIDS patients would get the proper line of treatment."

अतः इस संबंध में मुझे पुनः आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये कि वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों से जॉच करके अपात्र व्यक्तियों को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर बी0 पी0 एल0 परिवार के एच0 आई0 वी0 –संक्रमित व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का चिन्हीकरण करते हुए उनको अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड निर्गत किये जाने है, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि अन्त्योदय अन्न योजना के व्यक्तियों की संख्या जनपद में निर्धारित की गई संख्या से अधिक न बढे।

कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के कम में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन तथा परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति, 107 चन्द्रनगर, देहरादून को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय ,

(राजीव चन्द्र)
सचिव

25 362

<u>पृष्ठांकन संख्या</u> <u>तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपिः– <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चन्द्रनगर,देहरादून।
4– आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल/कुमायूँ मण्ड़ल, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड़।
6– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड़।
7– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, उत्तराखण्ड़ को इस आशय के साथ कि वे अपने जनपद के संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी से संपर्क करके उपरोक्त प्रस्ताव का अनुपालन करने का कष्ट करें।
8– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून।
10– अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून।
11– अनुसचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(राजीव चन्द्र)
सचिव